E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
Impact Factor (RJIF):7.28
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2025; 7(10): 215-218
Received: 12-08-2025
Accepted: 15-09-2025

हरनाम सिंह
शोधार्थी–समाजशास्त्र
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. दिनेश सिंह कुशवाह
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र
माधव महाविद्यालय, ग्वालियर,
मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
हरनाम सिंह
शोधार्थी–समाजशास्त्र
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
मध्य प्रदेश, भारत

पंचायतीराज में महिला सरपंचों का नेतृत्व एवं समस्याएँः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के भिण्ड जिले के विशेष संदर्भ में)

हरनाम सिंह, दिनेश सिंह कुशवाह

DOI: https://www.doi.org/10.33545/27068919.2025.v7.i10c.1733

सारांश
ईश्वर (प्रकृति) ने अनेक प्राणियों की रचना की है किन्तु उन सभी में मानव ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। मानव समाज की विकास श्रृंखला महिला एवं पुरूष रूपी संसार सागर के उतार चढ़ावों से गुजरती रही है। आज संसार में पुरूषों के साथ–साथ महिलाएँ भी जागरूक हुई हैं एवं वे अपनी पृथक पहचान बनाने में भी सफल रहीं हैं। महिलाओं को अपनी पृथक पहचान बनाने में पंचायतीराज की अहम् भूमिका रही है। पंचायतीराज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। ये संस्थाएँ समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ीं हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और भारत में 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में महिला सरपंचों पर एक विषयगत समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिसमें महिलाओं के कामकाज, स्व–निर्णय लेने की क्षमता, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, समाज में हो रहे परिवर्तनों के प्रति जागरूकता के स्तर को शामिल किया गया है। महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियाँ एवं पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति, नेतृत्व क्षमता एवं उनकी राजनीतिक भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महिला नेता पुरूष नेताओं की अपेक्षा कम भ्रष्ट हैं इसलिए प्रभावी मूल्य पर समान गुणवत्ता के अधिक सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इसके विपरीत अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अधिकतर महिला सरपंच अशिक्षित हैं अतः ग्राम विकास के कार्यों के सम्बंध में निर्णय लेने में वे अपने परिवार के पुरूष सदस्यों (पति, पिता, ससुर, पुत्र आदि) पर निर्भर रहतीं हैं। समीक्षा से पता चला है कि पितृसत्तात्मक और जातिगत समाज में महिलाओं के लिए राजनीतिक यात्रा आसान नहीं है जिसके कारण ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सबके बाद भी महिला सरपंच अपनी कार्यशैली एवं नेतृत्व का सही प्रयोग कर आगे बढ़ रहीं हैं, गति भले ही धीमी है किन्तु यह एक सार्थक कदम है जो सुनहरे भविष्य का संकेत है।

कूटशब्दः पंचायतीराज, महिला नेतृत्व, महिला जागरूकता, आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी

प्रस्तावना
''महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है।'' (स्वामी विवेकानन्द)

पंचायतीराज संस्था लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार पंचायतीराज व्यवस्था है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा पंचायतीराज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं। पंचायतीराज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। बुनियादी विकास के मुद्दे महिलाओं के ज्यादा करीब होते हैं, ऐसे में वे उन्हें अच्छी तरह से समझ सकतीं हैं एवं बेहतर दिशा दे सकती हैं। वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिए जा रहे हैं एवं उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रगति में पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होने के अवसर दिए जा रहे हैं। पंचायतीराज के माध्यम से आज ग्रामीण महिलाएँ सशक्त होती जा रहीं हैं, किन्तु उनकी राजनीतिक स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। किसी भी समाज की श्रेष्ठता या हीनता का निर्धारण उस समाज की महिलाओं की स्थिति से होता है। यहाँ महिलाओं की स्थिति से तात्पर्य समाज में महिलाओं का स्थान, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान, उनके गौरव एवं उस समाज में पुरूषों की तुलना में उनकी दशा से है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है किन्तु यह सुधार शहरी महिलाओं में ही दृष्टिगोचर हो रहा है। ग्रामीण महिलाएँ तो आज भी पिछड़ी हुई हैं वहाँ यह परिवर्तन अभी अल्प हुआ है। आज इस बात की आवश्यकता है कि महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में आने वाली बाधाओं एवं अवरोधकों को दूर कर उन्हें

विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य

- पंचायती राज में महिलाओं के नेतृत्व का अध्ययन करना।
- पंचायती राज के कार्यों के क्रियान्वयन में महिला सरपंचों को आने वाली समस्याओं का पता लगाना।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का पता लगाना।

तथ्यों का संकलन

आँकड़ों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतों का सहयोग लिया गया है। विभिन्न शोध पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन, इन्टरनेट आदि के सहयोग से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) जो राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। संवैधानिक अधिदेश इस तथ्य की मान्यता है कि भारत में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि देश की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रैल, 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है। जिससे देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आए। वर्तमान में मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं केरल में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण है।

पंचायतीराज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप

पंचायतीराज संस्थाएँ लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें देश की सत्ता का वितरण निचले स्तरों पर भी हो अर्थात् स्थानीय संस्थाओं को भी सत्ता का अधिकार हो। पंचायतें एवं नगर निगम स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं। इन संस्थाओं को लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति कहा जाता है। स्थानीय संस्थाएं सरकार के अन्य अंगों से बढ़कर लोकतंत्र को सुरक्षा देती हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है। पंचायतीराज स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का चहुँमुखी विकास करना है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबंधन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का उद्देश्य है।

भारत में प्राचीन काल से ही विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था के दर्शन होते रहे हैं भले ही उसके स्थानीय स्तर पर नाम अलग–अलग रहे हों। प्राचीन काल में जिस पंचायतीराज की व्यवस्था का विकास हुआ था उसका स्वरूप राजनीतिक कम एवं सामाजिक अधिक था। ग्राम पंचायतें गाँव के सम्पूर्ण जीवन को दिशा देतीं थीं। भारतीय ग्रामीण जीवन स्वावलम्बी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने गाँवों में पंचायतों को पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित करने की संविधान में व्यवस्था की।

वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। सम्पूर्ण विश्व विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में, इस शताब्दी के दौर में महिलाओं से विशेष प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। महिलाओं के बारे में अध्ययनों और आन्दोलनों का केन्द्र बिन्दु अब मानव हित में 'नारी मुक्ति' से हटकर 'महिलाओं को अधिकार' देने पर केन्द्रित हो गया है। विकास और आधुनिकीकरण के साथ–साथ लिंग समानता की अवधारणा को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख मुद्दा माना जा रहा है। महिलाओं को न केवल आर्थिक विकास में समान भागीदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है बल्कि उन्हें प्रत्येक मोर्चे पर समान समझने की जरूरत महसूस की जा रही है।

पंचायतीराज में महिला नेतृत्व एवं भागीदारी

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को कई बाधाएँ होने के बाद भी वे कई क्षेत्रों में सफल नेतृत्व कर रहीं हैं। महिला नेतृत्व एवं सहभागिता सम्बंधी अध्ययनों से पता चला है कि महिला नेतृत्व से सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति होती है। सर्वेक्षण में शोधार्थी ने पाया कि जहाँ महिला सरपंच है वहाँ पर बुनियादी सुविधाएँ अच्छी तरह से उपलब्ध हैं। इसी प्रकार सन् 2010 में हुए एक सर्वेक्षण से जो 11 राज्यों में किया गया था पता चला कि जिस क्षेत्र में महिला सरपंच है, वहाँ भ्रष्टाचार में कमी दर्ज की गई एवं सरकारी नीतियाँ अंतिम पायदान तक हर व्यक्ति तक पहुँचती हैं। इसी प्रकार ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सर्वे में पाया गया कि महिला सरपंचों में पुरूष सरपंचों की तुलना में भ्रष्टाचार की समस्या कम पाई जाती है। भिण्ड जिले में इसी बात को सत्य साबित करती हुई बहुत ही महिला सरपंच हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व एवं सहभागिता से अपने पंचायत क्षेत्र का विकास किया है। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक जनपद से एक ग्राम पंचायत की महिला सरपंच का विवरण दिया जा रहा है –

- **विमला देवी, ग्राम पंचायत जम्हौरा, जनपद पंचायत अटेरः** इन्होंने घर–घर से कचरा एकत्रित करवा कर ठोस प्रबंधन, जैविक खाद निर्माण में योगदान दिया। प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव हेतु एक प्लास्टिक बैंक की स्थापना कराई गई। गंदे पानी के प्रबंधन हेतु फिल्टर चेम्बर का निर्माण कराया गया।
- **संध्या चौहान, ग्राम पंचायत खेरिया सिंध, जनपद पंचायत मेहगांवः** इन्होंने स्वयं की कुछ धनराशि लगाई तथा ग्रामवासियों से चन्दा करके गाँव में प्रमुख स्थानों पर सी.सी. टी.वी. कैमरे लगवाए जिससे गाँव में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही अपने गाँव में गोबर गैस प्लांट का निर्माण भी करवाया।
- **सुकान्ती देवी, ग्राम पंचायत रामपुरा, जनपद पंचायत भिण्डः** इन्होंने अपने गाँव में वाटर टैंक का निर्माण कराया। गाँव के 21 बुजुर्गों को पेंशन दिलवाई, गाँव में 32 शौचालयों का निर्माण करवाया। साथ ही 19 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिलवाया और 109 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिलवाया।
- **उर्मिला देवी, ग्राम पंचायत चन्दहारा, जनपद पंचायत गोहदः** इन्होंने अपने क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य किए। जैसे– 101 छायादार वृक्ष लगवाए, 72 स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, शमशान घाट का निर्माण, बेसहारा बच्चों की शिक्षा का खर्च स्वयं दिया।
- **विभा, ग्राम पंचायत सुरधान, जनपद पंचायत रौनः** इन्होंने ग्राम विकास के अनेक कार्य किए जैसे–प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों को आवास दिलवाना, आँगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, बुजुर्गों को पेंशन दिलवाना, सरकारी हैण्डपंप की व्यवस्था करवाना, वर्षा पानी संरक्षण हेतु तालाब को और गहरा करवाना आदि।

- **नेहा कुशवाह, ग्राम पंचायत बैशपुरा, जनपद पंचायत लहारः** इन्होंने अपने गाँव की सड़कों को पक्का करवाकर उसे अन्य गाँवों से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया। साथ ही इन्होंने गाँव की पेयजल समस्या का समाधान करवाया, सामुदायिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना आदि का ग्रामवासियों को लाभ दिलवाया।

महिला सरपंचों के नेतृत्व एवं सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक

- **महिला आरक्षण के कारण पंचायतों में महिला नेतृत्व की वृद्धिः** मध्यप्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है इसलिए महिला नेतृत्व एवं सहभागिता में वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में तो निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या आरक्षण से भी अधिक है। यदि राज्यसभा एवं संसद में भी महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित हो जाए तो वहाँ पर भी इनका सही प्रतिनिधित्व हो जायेगा। भिण्ड जिले की ग्राम खेरिया सिंध की संध्या चौहान का कहना है कि यदि पंचायतीराज में महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो वे आगे नहीं आ सकतीं थीं।
- **सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभावः** सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों द्वारा महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा है, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ है। महिला बाल विकास मंत्रालय एवं पंचायतीराज संस्था ने मिलकर 2017 में महिलाओं में नेतृत्व कुशलता और दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य महिला सरपंचों को व्याख्यानों एवं कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आदेश जारी कर सरपंच पति को शासकीय गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इस आदेश के पश्चात भी किसी महिला सरपंच के पति द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो चुनी गई सरपंच को पद से हटाने का प्रावधान है।
- **शिक्षा के कारण महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता में वृद्धिः** शिक्षा नेतृत्व क्षमता एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में वृद्धि करती है। वर्तमान समय में प्रत्येक परिवार में लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। अतः महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास में एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर महिला साक्षरता दर अच्छी है वहाँ पर महिला नेतृत्व एवं सहभागिता भी अच्छी है। जहाँ पर महिला साक्षरता दर कम है वहाँ पर राजनीति में महिला सहभागिता भी कम है और नेतृत्व क्षमता भी कम है। अतः कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता एवं भागीदारी में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **सोशल मीडियाः** सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी महिला सरपंचों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आज लगभग सभी महिला सरपंचों के पास दूरदर्शन एवं मोबाइल की सुविधा उपलब्ध हो गई है जिनके माध्यम से वे नई–नई जानकारी हासिल कर लेतीं हैं जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है।
- **सरकार द्वारा महिला सरपंचों को पुरस्कृत करनाः** अच्छी महिला सरपंचों को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार पुरस्कृत करती है। इस कारण प्रत्येक महिला सरपंच कोशिश करती है कि वह भी अच्छा कार्य करके पुरस्कृत होकर अपना और अपने गाँव का नाम रोशन करे अतः वह अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करके पंचायतों के कार्यों का क्रियान्वयन करती है।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरताः** वर्तमान में अधिकतर महिलाएँ आत्मनिर्भर हो रहीं हैं, अब वे पुरूषों पर कम निर्भर हैं। आत्मनिर्भर होने से महिला सरपंचों में आत्मविश्वास बढ़ा है वे अब अपने को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करतीं हैं। एक आत्मनिर्भर महिला सरपंच जितनी स्वतंत्रता एवं निडरता से समाज तथा परिवार के सामने अपना मत रख सकती है, शायद उतना आत्मविश्वास साधारण महिला में नहीं होता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला सरपंच मानसिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त होतीं हैं और यही उनकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है।

महिला सरपंचों की समस्याएँ

पंचायतों में महिला नेतृत्व में वृद्धि होने के बावजूद भी उनके सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं, अशिक्षा, गरीबी, पुरूष प्रधान समाज एवं परम्पराओं के बंधन को तोड़ना कोई आसान कार्य नहीं है। अतः महिला सरपंचों के सामने अनेक समस्याएँ हैं जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं –

- **शिक्षा का अभावः** गाँव में आज भी अधिकतर महिलाएँ अशिक्षित हैं या कम शिक्षित हैं, इस कारण वे पंचायतों के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए दूसरों पर निर्भर रहतीं हैं।
- **जागरूकता का अभावः** ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ राजनीति के प्रति कम जागरूक हैं, इसका फायदा पुरूष प्रधान समाज उठाता है।
- **सरपंच पतिः** अधिकतर महिलाएँ अपने पति के नाम पर ही चुनाव जीतकर आतीं हैं और फिर उनका पति ही इस पद का उपभोग करता है। महिला सरपंच स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं ले पाती है।
- **जातिगत समाजः** गाँव में जाति प्रथा आज भी चरम सीमा पर है अतः जातिगत द्वेष के कारण महिलाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। दलित वर्ग की महिला सरपंचों की उच्च वर्ग के लोग कोई भी बात नहीं सुनते हैं और अपने अनुसार ही उनसे कार्य करवाते हैं।
- **पितृसत्तात्मक धारणाः** भारतीय समाज आज भी पुरूष प्रधान समाज है वह महिला को पुरूष के समान अधिकार नहीं देता है इस मानसिकता के कारण महिला सरपंचों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- **प्रशिक्षण का अभावः** महिला सरपंचों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकतर महिला सरपंच पहली बार चुनी जाती है उन्हें पंचायत के कार्यों का अनुभव नहीं होता है। अतः प्रशिक्षण के अभाव में वे कई कार्यों से अनभिज्ञ होती हैं जिसका लाभ पुरूष उठाते हैं।
- **पारिवारिक समस्याएँः** आजकल अधिकतर परिवार एकाकी हो गए हैं अतः महिला को अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी होती है इस कारण वह पंचायत के कार्यों में पूरा समय नहीं दे पाती है।
- **हेय दृष्टिः** गाँव की महिला जब बिना पुरूष (पति या पुत्र) के घर से बाहर अकेली कार्य के लिए निकलती है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है और उसके चरित्र पर उँगली उठाकर उसे हतोत्साहित किया जाता है।
- **वित्तीय समस्याः** कई महिला सरपंच ऐसी भी हैं जिन्हें परिवार चलाने के लिए स्वयं कार्य करना पड़ता है तब जाकर उनके परिवार का खर्च चलता है ऐसी स्थिति में महिला सरपंच पंचायत को पूरा समय नहीं दे पाती है।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला आरक्षण से महिलाओं के राजनीतिक ज्ञान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक गतिविधियों और पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी होती है और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं राजनीतिक कार्यों में अधिक रूचि लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक ज्ञान के साथ–साथ महिलाओं की राजनीति में रूचि भी बढ़ी है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है और इस अर्थ में आरक्षण का महिला सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं के आत्मविश्वास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है जो न केवल राजनीति के लिए बल्कि महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण संकेत है। इस प्रणाली ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ बातचीत करने के लिये एक मंच दिया है जिसके परिणामस्वरूप ये अधिक दृश्यमान हो गईं हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने का आत्मविश्वास प्राप्त किया है। महिला आरक्षण प्रणाली भी शराबबंदी, दहेज विवाद, तलाक और लड़कियों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विरोध करने में महिलाओं के लिए सहायक रही है।

जहाँ तक राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, वर्तमान अध्ययन में समग्र संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं भागीदारी तकनीकों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में भी एक बड़ा अंतर पाटना बाकी है।

सुझाव

शोध कार्य पर आधारित सुझावों द्वारा समसामयिक ज्वलन्त मुद्दों पर समस्याओं के निराकरण हेतु नीतियाँ व कार्यक्रमों को बनाकर लागू किया जा सकता है। ये सुझाव भविष्य में होने वाले शोध कार्यों एवं नीतियों व कार्यक्रमों को पथ–प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सुझावों द्वारा आगे के शोध कार्यों को गति प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुत शोध से प्राप्त अनुभवों एवं विकसित अर्न्तदृष्टि के आधार पर शोधार्थी द्वारा अग्रलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की जातीं हैं –

- पंचायत चुनावों में महिला जनप्रतिनिधियों को उम्मीदवार बनाने से पूर्व उनकी राय जान लेना चाहिये अर्थात् क्या महिला सदस्य अपनी मर्जी (स्वेच्छा) से चुनाव लड़ना चाहती है और क्या वे जीत के पश्चात् पूर्ण समर्पण की भावना से अपने दायित्वों का निर्वाह कर पायेंगी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों, दायित्वों एवं अधिकारों के सम्बंध में भली–भांति शिक्षित–प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे महिला प्रतिनिधि ही हिस्सा लें उनके परिवार के सदस्य व संरक्षक नहीं।
- महिला को व्यावहारिक तरीकों से उनके कार्यों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।
- अशिक्षित एवं कम शिक्षित महिला जनप्रतिनिधियों को दृश्य–श्रव्य माध्यमों का प्रयोग कर पद सम्बंधी जानकारी दी जानी चाहिए।
- पुरूषों द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें वे परिवार के सदस्यों का सहयोग तो ले सकती है, परन्तु किसी भी हाल में उनके दायित्वों का निर्वहन उनके परिवार अथवा संरक्षकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे महिला जनप्रतिनिधियों से सहज एवं स्थानीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर सहयोग प्रदान करें।
- महिला प्रतिनिधियों को स्वयं कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनके कार्यों की प्रशंसा की जाना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली सभाओं में सामूहिक परिचर्चा आहूत करायी जानी चाहिए ताकि महिला नेतृत्व के प्रति लोग एक–दूसरे से अपने अनुभवों को बाँट सकें।
- पंचायत स्तर पर बुलेटिन प्रसारित कर पंचायत के कार्यों की चर्चा की जानी चाहिए, महिला सदस्यों के कार्यकलापों पर विशेष चर्चा होनी चाहिए।
- पंचायत में योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने, लागू करने में गैर सरकारी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाना चाहिए।
- समाज में महिला नेतृत्व के प्रति जागरूकता फैलायी जानी चाहिए जिससे महिलाएं आगे बढ़कर अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु कृत संकल्प हों तथा रास्ते में आने वाली रूकावटों का डटकर मुकाबला करने का साहस पैदा हो।
- सरकारी स्तर पर सर्वशिक्षा हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उनके प्रति जनजागरण किया जाना चाहिये जिसमें बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि सुदृढ़ पीढ़ी के निर्माण के साथ ही समाज व राष्ट्र का विकास सम्भव हो सके। पंचायत के प्रत्येक स्तर पर विशेषकर ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवायोजित किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. चौपड़ा, डॉ. सरोज (2000), स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. सिंह, वी.एन. (2000), ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
3. महीपाल (2019), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।
4. अमित शुक्ल (2024), सशक्त पंचायत समृद्ध भारत की संकल्पना, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
5. शर्मा, संगीता (2005), महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पब्लिकेशन, जयपुर।
6. राकेश शर्मा निशीशः पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, कुरूक्षेत्र जुलाई 2005, पृ. 01–05
7. बंसल, डॉ. वंदना (2024), पंचायती राज में महिला भागीदारी, कल्याण पब्लिकेशन, दिल्ली।
8. माहेश्वरी, डॉ. श्रीराम (2024), भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
9. जैन, डॉ. मनोज कुमार, म0प्र0 के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका, यजुर पब्लिशिंग हाउस, बोरीवली।
10. अमित कुमारः पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारीः एक एतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनरल ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाइड ऐजुकेशन (अंक–9) जून, 2019, पृ. 1007–1012
11. सीमा रानीः ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका, शोध मंथन (अंक–04), मार्च 2018, पृ. 20–27
12. सिंह, अशोक कुमार (1994), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम, योजना, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।